प्रेषक,

निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/ डा0 एस0पी0एम0(सिविल), चिकित्सालय/ओपेक चिकित्सालय कैली, बस्ती/यू0एच0एम, चिकित्सालय, कानपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर नगर।
5. समस्त प्रमुख /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिक, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त /100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रानी लक्ष्मी बाई, संयुक्त चिकित्सालय, लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ टी0बी0 चिकित्सालय, लखनऊ/तेलियरगंज इलाहाबाद/मानसिक चिकित्सालय बरेली/वाराणसी, एस0आर0एन चिकित्सालय, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, टी0बी0 सप्रु चिकित्सालय, इलाहाबाद।
7. अपर निदेशक, राज्य विधि विशेषज्ञ ऐशबाग, लखनऊ।
8. अपर निदेशक, मलेरिया एवं वी0बी0डी0 जवाहर भवन, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, लखनऊ।
10. राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, सेक्टर–सी अलीगज, लखनऊ/वाराणसी।
11. प्रधानाचार्य गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध, चिकित्सालय, लखनऊ।
12. संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या–4डी(1)/438/2021/ 3617 लखनऊ : दिनांक : 04/07/2023

विषयः– **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में समूह–घ के कर्मचारियों को लिपिक वर्गीय समूह–ग के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के परिपत्र संख्या–4डी(1)/438/2021/2922 दिनांक 30.05.2023(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 सरकार कार्मिक विभाग, कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–22/09/कार्मिक–2–2001, दिनांक 22.12.2001 द्वारा अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह–ग के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली–2001 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो गैर तकनीकी पदों पर कार्यरत है उनकी पदोन्नति कनिष्ठ सहायक के वर्तमान में कुल आरक्षित हेतु उपलब्ध 252 पदों पर उक्त सेवानियमावली 2001 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर आवेदन एवं गोपनीय प्रविष्टि/प्रमाण–पत्र आदि अपेक्षित समस्त अभिलेखों को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से निर्धारित दिनांक 16.08.2023 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में परिधिगत लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के कार्यरत कार्मिकों की कमी के कारण प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों/चिकित्सालयों में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत् चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में समूह–घ के कर्मचारियों को लिपिक वर्गीय समूह–ग के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है।

कार्यवाही	दिनांक
हिन्दी कम्प्यूटर टंकण परीक्षा	**16.08.2023**
आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराये जाने की तिथि	**20.07.2023**

महानिदेशालय के परिपत्र दिनांक 30.05.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। साथ ही साथ समस्त नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अर्ह एवं पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों को अग्रसारित करते हुये दिनांक 20.07.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय
04/07/23

(डा0 राजागणपति आर0)
आई0ए0एस
निदेशक (प्रशासन)

E:\V Letter\October 2022.Doc 1

पत्र संख्या–4डी(1)/438/2021/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन चिकित्सा अनुभाग–4
2. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. निदेशक(नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभागीय अधिकृत वेबसाइड www.dgmhup.gov.inपर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. श्री सागर तिवारी, कनिष्ठ सहायक, 4डी(1) अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अभिलेख स्वयं प्राप्त करें एवं एक पंजिका बनाकर उसमें प्रतिदिन आवेदन को अंकित करें तथा संयुक्त निदेशक(मुख्यालय परिधिगत) को अवलोकित करायें।

(डा0 राजागणपति आर0)
आई0ए0एस
निदेशक (प्रशासन)

E:\V Letter\October 2022.Doc 2

प्रेषक,

निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/ डा0 एस0पी0एम0(सिविल), चिकित्सालय/ओपेक चिकित्सालय कैली, बस्ती/यू0एच0एम, चिकित्सालय, कानपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर नगर।
5. समस्त प्रमुख /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिक, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त /100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रानी लक्ष्मी बाई, संयुक्त चिकित्सालय, लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ टी0बी0 चिकित्सालय, लखनऊ/तेलियरगंज इलाहाबाद/मानसिक चिकित्सालय बरेली/वाराणसी, एस0आर0एन चिकित्सालय, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, टी0बी0 सप्रु चिकित्सालय, इलाहाबाद।
7. अपर निदेशक, राज्य विधि विशेषज्ञ ऐशबाग, लखनऊ।
8. अपर निदेशक, मलेरिया एवं वी0बी0डी0 जवाहर भवन, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, लखनऊ।
10. राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, सेक्टर–सी अलीगज, लखनऊ/वाराणसी।
11. प्रधानाचार्य गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध, चिकित्सालय, लखनऊ।
12. संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या–4डी(1)/438/2021/ लखनऊ : दिनांक : 04/07/2023

विषयः– **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में समूह–घ के कर्मचारियों को लिपिक वर्गीय समूह–ग के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के परिपत्र संख्या–4डी(1)/438/2021/2922 दिनांक 30.05.2023(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 सरकार कार्मिक विभाग, कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–22/09/कार्मिक–2–2001, दिनांक 22.12.2001 द्वारा अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह–ग के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली–2001 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो गैर तकनीकी पदों पर कार्यरत है उनकी पदोन्नति कनिष्ठ सहायक के वर्तमान में कुल आरक्षित हेतु उपलब्ध 252 पदों पर उक्त सेवानियमावली 2001 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर आवेदन एवं गोपनीय प्रविष्टि/प्रमाण–पत्र आदि अपेक्षित समस्त अभिलेखों को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से निर्धारित दिनांक 16.08.2023 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में परिधिगत लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के कार्यरत कार्मिकों की कमी के कारण प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों/चिकित्सालयों में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत् चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में समूह–घ के कर्मचारियों को लिपिक वर्गीय समूह–ग के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है।

कार्यवाही	दिनांक
हिन्दी कम्प्यूटर टंकण परीक्षा	**16.08.2023**
आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराये जाने की तिथि	**20.07.2023**

महानिदेशालय के परिपत्र दिनांक 30.05.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। साथ ही साथ समस्त नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अर्ह एवं पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों को अग्रसारित करते हुये दिनांक 20.07.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 राजागणपति आर0)
आई0ए0एस
निदेशक (प्रशासन)

E:\V Letter\October 2022.Doc 1

पत्र संख्या–4डी(1)/438/2021/3618-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन चिकित्सा अनुभाग–4
2. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. निदेशक(नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभागीय अधिकृत वेबसाइड www.dgmhup.gov.inपर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. श्री सागर तिवारी, कनिष्ठ सहायक, 4डी(1) अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अभिलेख स्वयं प्राप्त करें एवं एक पंजिका बनाकर उसमें प्रतिदिन आवेदन को अंकित करें तथा संयुक्त निदेशक(मुख्यालय परिधिगत) को अवलोकित करायें।

04/11/22

(डा0 राजागणपति आर0)
आई0ए0एस
निदेशक (प्रशासन)

E:\V Letter\October 2022.Doc 2